

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/22

जयपुर, दिनांक: 30.09.2022

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रस्तावित पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री
1.	सुलेखा शर्मा संयुक्त विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (प्रारूपण), शासन सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (प्रारूपण), शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
2.	अशोक कुमार गुप्ता	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय प्रशासक वादकरण, जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय प्रशासक वादकरण, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
3.	राजेन्द्र सिंह प्रथम	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी-प्रथम, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, आयुक्त आबकारी, उदयपुर	रिक्त पद पर
4.	महेन्द्र कुमार बिडियासर	संयुक्त विधि परामर्शी, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी-प्रथम, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर राजेन्द्र सिंह के स्थान पर
5.	पवन कुमार तंवर	संयुक्त विधि परामर्शी, महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर	बिडियासर के स्थान पर
6.	मोहर सिंह उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी, नगर निगम, जोधपुर उत्तर, जोधपुर	संयुक्त विधि परामर्शी, नगर निगम, जोधपुर उत्तर, जोधपुर	पदोन्नति पर यथावत
7.	विजय कुमार जैन उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (करापवंचन) राजस्थान वृत्त, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (करापवंचन) राजस्थान वृत्त, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
8.	धर्मेन्द्र दादवानी उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी, आयुक्त आबकारी, उदयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी, आयुक्त आबकारी, उदयपुर	पदोन्नति पर यथावत
9.	लेखराज जाग्रत	संयुक्त विधि परामर्शी एवं निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर (प्रतिनियुक्ति)	संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	आर्य के स्थान पर
10.	विनोद कुमार जांगिड	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, आयुक्त आबकारी, उदयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	संयुक्त विधि परामर्शी एवं निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर (प्रतिनियुक्ति)	लेखराज जाग्रत के. स्थान पर

11.	नरेन्द्र कुमार आर्य	संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	जांगिड के स्थान पर
12.	सुरेश चन्द शर्मा उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर (प्रतिनियुक्ति)	संयुक्त विधि परामर्शी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर (प्रतिनियुक्ति)	पदोन्नति पर यथावत
13.	महेश कुमार गोयल उप विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (विधि) प्रकोष्ठ विभाग, सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी, संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (विधि) प्रकोष्ठ विभाग, सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
14.	चन्द्र शेखर गौड	उप विधि परामर्शी, निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर	उप विधि परामर्शी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर	रिक्त पद पर
15.	प्रदीप चौधरी सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, आयुक्त आबकारी, उदयपुर	उप विधि परामर्शी, आयुक्त आबकारी, उदयपुर	पदोन्नति पर यथावत
16.	चांद कुमार पालीवाल सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, निदेशक, स्नान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	उप विधि परामर्शी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	पदोन्नति पर आशु माहेश्वरी के स्थान पर
17.	आशु माहेश्वरी	उप विधि परामर्शी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	उप विधि परामर्शी, निदेशक, स्नान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	पालीवाल के स्थान पर
18.	सीमा माहेश्वरी	उप विधि परामर्शी, आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	उप विधि परामर्शी, आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	पदोन्नति पर यथावत
19.	अजीत मरोठी सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, मुख्य अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी जयपुर	उप विधि परामर्शी, शिक्षा ग्रुप-3, शासन सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
20.	रूप बसंत शर्मा	उप विधि परामर्शी, निदेशालय कृषि विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर (उप कुल सचिव के पद के विरुद्ध)	दुर्गा प्रसाद के स्थान पर
21.	अरुण कुमार शर्मा	उप विधि परामर्शी, विशेषाधिकारी, राजस्व मण्डल मुख्यालय कलेक्ट्रेट, जोधपुर	उप विधि परामर्शी, जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर	मनीष कुमार के स्थान पर
22.	मनीष कुमार उपाध्याय	उप विधि परामर्शी, जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर	उप विधि परामर्शी, जिला कलेक्टर कार्यालय बाड़मेर	सुनील शर्मा के स्थान पर
23.	ओम प्रकाश शर्मा सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय जयपुर	उप विधि परामर्शी, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय जयपुर	पदोन्नति पर यथावत
24.	अमर सिंह बगड़िया, सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, जिला कलेक्टर कार्यालय सीकर	उप विधि परामर्शी, जिला कलेक्टर कार्यालय सीकर	पदोन्नति पर यथावत
25.	कंवरी लाल सोनी सहायक विधि परामर्शी	उप निदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर	उप विधि परामर्शी, जिला कलेक्टर कार्यालय जैसलमेर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर

26.	मनमोहन आचार्य सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	उप विधि परामर्शी, नगर निगम, बीकानेर	जाखड़ के स्थान पर
27.	अमीरुल हसन गौरी उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी, नगर निगम, कोटा दक्षिण कोटा (स्थानान्तरणाधीन)	उप विधि परामर्शी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	मनमोहन आचार्य के स्थान पर
28.	अशोक वर्मा	उप विधि परामर्शी, वन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	उप विधि परामर्शी, कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
29.	दुर्गा प्रसाद	उप विधि परामर्शी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर (उप कुल सचिव के पद के विरुद्ध)	उप विधि परामर्शी, वन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	रिक्त पद पर
30.	सुभत सान्याल	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय भरतपुर	उप विधि परामर्शी, निर्वाचन विभाग, सचिवालय जयपुर	रिक्त पद पर
31.	महेन्द्र पाल सिंह सहायक विधि परामर्शी,	सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय भरतपुर	उप विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध
32.	सुनील शर्मा	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय बाड़मेर	उप विधि परामर्शी, विशेषाधिकारी, राजस्व मण्डल मुख्यालय कलेक्ट्रेट, जोधपुर	अरुण कुमार शर्मा के स्थान पर
33.	मनोज बंशीवाल,	सहायक विधि परामर्शी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर	महेन्द्र पाल सिंह के स्थान पर
34.	महेश कुमार नारनोलिया सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय टोंक	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय टोंक	पदोन्नति पर यथावत
35.	गिरधारी लाल जाखड़ उप विधि परामर्शी,	उप विधि परामर्शी, नगर निगम, बीकानेर	संयुक्त विधि परामर्शी, महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध पवन के स्थान पर
36.	मनोज कुमार मीना कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, जयपुर	रिक्त पद पर
37.	दिशा फौजदार	वरिष्ठ विधि अधिकारी चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	वरिष्ठ विधि अधिकारी वित्त (कर) विभाग सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
38.	सरोज चतुर्वेदी वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
39.	शिल्पा भट्ट कनिष्ठ विधि अधिकारी	कनिष्ठ विधि अधिकारी राजस्व (उप निवेशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी वित्त (विधि प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद के विरुद्ध रिक्त पद पर

40.	लवीना मोदी	कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	कनिष्ठ विधि अधिकारी उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), बीकानेर	रिक्त पद पर
41.	नवरत्न सिंह राठौड़	कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर	बेरवाल के स्थान पर
42.	अभिनव बेरवाल	कनिष्ठ विधि अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	राठौड़ के स्थान पर

आज्ञा से
30/9/22
(अक्षित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

30/9/22
संयुक्त शासन सचिव